

1. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं 143 के तहत होती है। सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। इन लेखों की पूरक लेखापरीक्षा भी सीएजी द्वारा की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे संबंधित विधानों के तहत होती है।

31 मार्च 2015 को राजस्थान में 51 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज) (45 कार्यरत कम्पनियां एवं तीन कार्यरत सांविधिक निगम) एवं तीन अकार्यरत पीएसयूज (सभी कम्पनियां) थे, जिसमें लगभग 1.08 लाख कर्मचारी नियोजित थे। कार्यरत पीएसयूज ने उनके अन्तिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार वर्ष 2014-15 हेतु ₹ 47914.29 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 8.34 प्रतिशत के बराबर था, जो राज्य के पीएसयूज की राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी

31 मार्च 2015 को 51 पीएसयूज में ₹ 101152.16 करोड़ का निवेश (पूँजी एवं दीर्घकालीन ऋण) था। यह 2010-11 के ₹ 47144.61 करोड़ से 114.56 प्रतिशत बढ़ गया। ऊर्जा क्षेत्र ने 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान किये कुल निवेश का 89.22 प्रतिशत प्राप्त किया था। सरकार ने 2014-15 के दौरान पूँजी, ऋण एवं अनुदान/अर्थ-साहाय्य के पेटे ₹ 13052.80 करोड़ का अंशदान किया।

पीएसयूज का निष्पादन

वर्ष 2014-15 में, 48 कार्यरत पीएसयूज में से, 23 पीएसयूज ने ₹ 858.19 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं 19 पीएसयूज ने ₹ 17049.00 करोड़ की हानि वहन की। शेष पीएसयूज में से चार पीएसयूज में वर्ष 2014-15 हेतु न लाभ व न हानि थी जबकि दो पीएसयूज ने अपने समामेलन से अब तक वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किये थे। साथ ही, 48 पीएसयूज में से 16 पीएसयूज, जो वर्ष 2006-07 से 2013-14 के दौरान समामेलित हुये थे, ने 2014-15 तक अपनी वाणिज्यिक गतिविधियां आरम्भ नहीं की थी। इस प्रकार, इन पीएसयूज की स्थापना का उद्देश्य विफल हो गया। सरकार को इन पीएसयूज की व्यावसायिक गतिविधियां प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिये।

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (₹ 247.27 करोड़), राजस्थान राज्य स्वान एवं स्वनिज लिमिटेड (₹ 205.44 करोड़) एवं राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (₹ 184.49 करोड़) लाभ के मुख्य अंशदाता थे। विद्युत कम्पनियों यथा अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 4842.99 करोड़), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 4734.57 करोड़), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 4146.12 करोड़) एवं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 2636.92 करोड़) ने भारी हानि वहन की थी।

लेखों की गुणवत्ता

पीएसयूज के लेखों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। अक्टूबर 2014 से 30 सितम्बर 2015 तक अंतिम रूप दिये गये 47 लेखों में से सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 21 लेखों पर मर्यादित प्रमाण-पत्र, दो लेखों पर अस्वीकृति एवं चार लेखों पर प्रतिकूल प्रमाण-पत्र दिये। पीएसयूज द्वारा लेखांकन मानकों की अनुपालना नहीं करने के 65 मामले थे।

लेखों के बकाया एवं समापन

30 सितम्बर 2015 को 14 कार्यरत पीएसयूज के 26 लेखे बकाया थे। अकार्यरत पीएसयूज में से दो पीएसयूज के तीन लेखे बकाया थे। सरकार अकार्यरत पीएसयूज को बन्द करने के संबंध में निर्णय ले सकती है।

इस प्रतिवेदन की विषय वस्तु

इस प्रतिवेदन में नौ अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेद एवं दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं यथा 'राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड की वाणिज्यिक गतिविधियों के कम्प्यूटरीकरण' एवं 'जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा उपभोक्ता शिकायतों के निवारण पर निष्पादन लेखापरीक्षा की अनुवर्ती लेखापरीक्षा' सम्मिलित हैं जिनमें ₹ 39.90 करोड़ का वित्तीय प्रभाव निहित है।

2. सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

'जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा उपभोक्ता की शिकायतों के निवारण पर निष्पादन लेखापरीक्षा' की अनुवर्ती लेखापरीक्षा तथा 'राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड द्वारा वाणिज्यिक गतिविधियों के कम्प्यूटरीकरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा (आईटी)' की गई।

2.1 'जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा उपभोक्ता की शिकायतों के निवारण पर निष्पादन लेखापरीक्षा' की अनुवर्ती लेखापरीक्षा

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा उपभोक्ता की शिकायतों के निवारण पर निष्पादन लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के राजस्थान सरकार पर 31 मार्च 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में शामिल किया गया था। राजकीय उपक्रम समिति (कोपू) तथा लेखापरीक्षा द्वारा की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने तथा 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा उपभोक्ता की शिकायतों के निवारण में निष्पादन का आंकलन करने के लिए अनुवर्ती लेखापरीक्षा की गई। अनुवर्ती लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से विदित हुआ कि राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) के निर्देशानुसार शिकायतों के अभिलेखन में ज्यादा सुधार नहीं हुआ तथा उपभोक्ता शिकायतों के निवारण में देरी हुई थी। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा तथा कोपू द्वारा की गई सिफारिशों तथा कार्यवाही विषयक प्रतिवेदन में कोपू को दिए गए आश्वासनों का कम्पनी द्वारा पूर्णरूप से क्रियान्वयन नहीं किया गया था।

शिकायतों का अभिलेखीकरण

शिकायतें न तो निर्धारित प्रारूप में पंजीकृत की गई थी तथा न ही प्रकृति एवं निराकरण की तात्कालिकता जिनके आधार पर उनका निवारण किया जाना था, वर्गीकृत की गई थी। उपखंडों (जयपुर पर कॉल सेंटर को छोड़कर) ने प्रत्येक शिकायत के लिए एक विशिष्ट संख्या आवंटित नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, वर्गीकरण के अनुसार विभिन्न शिकायतों की सूचना का संकलन नहीं किया गया था। आरईआरसी को 2010-11 से 2013-14 वर्षों के लिए प्रस्तुत की गई सूचना सही नहीं थी। कम्पनी ने 18.41 लाख शिकायतों (2009-10 की लंबित शिकायतों सहित) की प्राप्ति के विरुद्ध 18.85 लाख शिकायतों (102.39 प्रतिशत) के निवारण की सूचना प्रस्तुत की। आरईआरसी को प्रस्तुत विवरणियां सहायक साक्ष्यों तथा बुनियादी अभिलेखों के आधार पर नहीं थी।

विद्युत आपूर्ति में व्यवधान

कॉल सेंटर द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार शिकायतों (31.56 प्रतिशत) का निर्धारित समय के भीतर निवारण नहीं किया गया। आरईआरसी को प्रस्तुत सूचना तथा कॉल सेंटर में संकलित सूचना के मध्य व्यापक भिन्नता थी। आरईआरसी को प्रस्तुत सूचना के अनुसार निर्धारित समयावधि के भीतर निवारण हुई शिकायतें 81.93 (2010-11) से 93.77 (2013-14) प्रतिशत के मध्य थी जबकि कॉल सेंटर द्वारा संकलित सूचना के अनुसार निष्पादन 55.00 (2010-11) से 80.57 प्रतिशत (2013-14) के मध्य था। सेवा प्रदाताओं ने शिकायतों के निर्धारित समय के भीतर निवारण नहीं कर उपभोक्ताओं को गुणवत्ता सेवा प्रदान नहीं की। इसके अतिरिक्त, दोष के निवारण के बाद 'एसएमएस' केवल 10.39 प्रतिशत उपभोक्ताओं को भेजा गया यद्यपि, कम्पनी द्वारा समय पर 'एसएमएस' पैक सक्रिय करा दिया था।

वितरण ट्रांसफॉर्मर्स (डीटीज) की विफलता

वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान कम्पनी में विफल हुए डीटीज की कुल स्थापित डीटीज के सम्बन्ध में प्रतिशतता 12.35 एवं 13.21 के मध्य थी। मार्च 2014 को समाप्त हुए चार वर्षों के दौरान औसतन कुल स्थापित डीटीज के 12.85 प्रतिशत डीटीज विफल हुए। जयपुर जिला वृत्त (जेपीडीसी) में, 2010-14 के दौरान 12.35 प्रतिशत डीटीज विफल हुए। जयपुर शहर वृत्त (जेसीसी) में बेहतर हालात थे जहां विफलता की दर (3.43 प्रतिशत) कम्पनी की औसत विफलता दर से बहुत कम थी। कम्पनी ने तथापि आरईआरसी विनियमों के तहत विफल डीटीज के कारण प्रभावित उपभोक्ताओं की संख्या के अभिलेखों का संधारण नहीं किया। जेपीडीसी में 2010-14 के दौरान 64.74 प्रतिशत डीटीज गारंटी अवधि के भीतर विफल हुए, लेकिन कम्पनी ने इतनी उच्च विफलता दर के कारणों का विश्लेषण नहीं किया। कृषि श्रेणी में जले/खराब ट्रांसफॉर्मरों को बदलने की प्रक्रिया का जेपीडीसी के किसी भी उपखंड में पालन नहीं किया गया। कम्पनी ने विफल हुए ट्रांसफॉर्मरों को 72 घंटे की समयावधि में बदलने में हुई देरी के किसी भी मामले की आरईआरसी को सूचना नहीं दी लेकिन अभिलेखों की नमूना जांच में ट्रांसफॉर्मरों को निर्धारित समय अवधि के अंदर बदलने में देरी पाई गई।

वोल्टेज में उतार चढ़ाव तथा खराब/रुके हुए मीटर

उपखंडों ने वोल्टेज में उतार-चढ़ाव की शिकायतों के पंजीकरण एवं निवारण से संबंधित कोई भी अभिलेख संधारित नहीं किये। उपखंडों ने आरईआरसी को प्रस्तुत करने के लिए किसी

सूचना को भी आगे नहीं भेजा। वोल्टेज में उतार-चढ़ाव की शिकायतों के पंजीकरण तथा निवारण से संबंधित किसी भी सूचना के अभाव में, इस संबंध में कम्पनी के प्रदर्शन का आंकलन नहीं किया जा सका। कम्पनी में दो महीने की निर्धारित समयावधि में खराब मीटर नहीं बदले जाने के संबंध में उच्च प्रतिशतता (2010-14 के दौरान 30.68 प्रतिशत) दर्ज की गई। उपखंडों में दो महीने से अधिक खराब रहे मीटरों तथा औसत आधार पर बिलिंग किये गए उपभोक्ताओं को आरईआरसी द्वारा निर्धारित प्रारूप में संधारित नहीं किया गया। बड़ी संख्या में मीटरों की विफलता के संभावित कारणों का आंकलन करने के लिए तैयार की जाने वाले प्रारूप ए-30 में मीटरों की विफलता प्रतिवेदन तैयार नहीं किये गये।

बिलों से संबंधित शिकायतें

उपखंडों ने आरईआरसी द्वारा निर्धारित प्रारूप में विद्युत बिलों से संबंधित शिकायतों के अभिलेख संधारित नहीं किये। संबंधित उपखंडों द्वारा शिकायत प्राप्ति, शिकायत निवारण के लिए की गई कार्रवाई तथा शिकायत के पूर्ण निवारण में लिये गये कुल समय के मध्य कोई अन्तर्संबंध नहीं था। इसलिए कम्पनी, शिकायतों के निर्धारित समयावधि के भीतर निवारण किया गया है, के बारे में किसी भी प्रकार का आश्वासन प्रदान करने में विफल रही। औसत बिल उपभोक्ताओं को दो बिलिंग चक्र से अधिक में जारी किए गए तथा गलत बिलिंग के पेटे उपभोक्ताओं को जमा अनुमत करने में 119 से 1147 दिनों की देरी हुई थी। जेसीसी तथा जेपीडीसी ने दो से अधिक बिलिंग चक्रों के लिए औसत बिल जारी किए गए उपभोक्ताओं को पांच प्रतिशत छूट प्रदान नहीं की।

कनेक्शन/कृषि कनेक्शन जारी करना

जेसीसी एवं जेपीडीसी द्वारा आरईआरसी को 2010-11 से 2013-14 अवधि के लिए प्रस्तुत वार्षिक निष्पादन प्रतिवेदन में कनेक्शनों को जारी करने में 'कोई भी देरी नहीं' का उल्लेख किया। तथापि, जेपीडीसी में 21 दिनों की निर्धारित अवधि में डिमांड नोट जारी करने में 71.68 प्रतिशत मामलों में एक से 407 दिनों के मध्य देरी हुई। इसके अतिरिक्त, डिमांड नोट जमा करने के उपरान्त 45 दिनों की निर्धारित अवधि में कनेक्शन जारी करने में 30.82 प्रतिशत मामलों में एक से 451 दिनों के मध्य देरी हुई। जेसीसी में डिमांड नोट जारी करने में 5.88 प्रतिशत मामलों में एक से 145 दिनों के मध्य में देरी हुई एवं डिमांड नोट जमा करने के बाद कनेक्शन जारी करने में 13.16 प्रतिशत मामलों में एक से 391 दिनों के मध्य देरी हुई। कृषि कनेक्शन जारी करने की गति धीमी थी क्योंकि कम्पनी 2011-15 के दौरान केवल 0.99 लाख नए कनेक्शन जारी कर पाई एवं दिसंबर 2014 तक 1.48 लाख आवेदन लंबित थे। 2011-15 के दौरान जारी कनेक्शन के आवेदन पत्र मार्च 2009 तक की अवधि से संबंधित थे।

आरईआरसी को प्रस्तुत वार्षिक निष्पादन प्रतिवेदन एवं निष्पादन के मानक 2014

कम्पनी ने विनियम 2003 के अनुसार 2010-11 से 2014-15 के दौरान आरईआरसी को तिमाही प्रतिवेदन प्रेषित नहीं किये। वार्षिक प्रतिवेदन भी चार से 16 महीने के मध्य की देरी से प्रस्तुत किये गये। इसके अतिरिक्त, वार्षिक प्रतिवेदन किसी सहायक साक्ष्यों एवं बुनियादी अभिलेखों पर आधारित नहीं थे क्योंकि संबंधित अभियंता ने न तो निर्धारित प्रारूप में सूचना संकलित की थी एवं न ही दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक प्रतिवेदन प्रेषित किये थे। कम्पनी ने 31 मार्च 2015 को समाप्त हुई छह माह की अवधि के लिए निष्पादन के मानक 2014 के

अनुसार आरईआरसी को विवरणी प्रस्तुत नहीं की। इसके अतिरिक्त, उपस्वंडों ने अभी तक (सितंबर 2015) निर्धारित प्रारूप में अभिलेखों को तैयार एवं उनका संकलन करना शुरू नहीं किया था। इसके कारण विभिन्न मानकों के समक्ष कम्पनी के निष्पादन पर टिप्पणी नहीं की जा सकती।

उपभोक्ताओं में जागरूकता उत्पन्न करना

इकाई कार्यालयों ने शिकायतों के पंजीकरण तथा निवारण एवं उसके व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए आरईआरसी द्वारा जारी (नवंबर 2003) किए गए दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया। शिकायतों की विभिन्न प्रकृति के लिए शिकायत केंद्र का पूरा पता तथा शिकायत निवारण मंच के टेलीफोन नंबर एवं पूर्ण पते न तो प्रिन्ट/रेडियो/टीवी मीडिया के माध्यम से प्रचारित किये तथा न ही बिजली के बिल पर मुद्रित या उपस्वंड कार्यालयों पर प्रदर्शित किये गये।

शिकायत निवारण एवं निपटारा मंच

बस्सी उपस्वंड में उपस्वंड मंच कार्यरत नहीं था। सांगानेर एवं बड़पीपली उपस्वंडों में मंच लगभग अकार्यशील थे क्योंकि 2010-11 से 2014-15 के दौरान केवल क्रमशः एक तथा चार मामले प्राप्त एवं निर्णीत किए गए। संबंधित कार्यालयों में ढिलाई एवं अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा नियंत्रक कार्यालयों को मामले भेजने में लिए गए अधिक समय की वजह से मामलों का निर्धारित समयावधि में निस्तारण नहीं हुआ।

2.2 राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड की वाणिज्यिक गतिविधियों के कम्प्यूटरीकरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा (आईटी)

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड का समामेलन (1 जुलाई 1956) गन्ने एवं चुकन्दर से चीनी बनाने तथा चीनी, गन्ने, चुकन्दर एवं शीरा में व्यापार करने; गन्ना, चुकन्दर एवं अन्य फसलों को उगाने एवं उठाने तथा परिशोधित स्पिरिट, देशी मदिरा तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा में आसवक, निर्माता एवं डीलर के रूप में व्यवसाय चलाने के मुख्य उद्देश्यों के साथ एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में हुआ।

आबकारी विभाग, राजस्थान सरकार ने ₹ 8.21 करोड़ की लागत पर मैसर्स ट्राइमेक्स आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विस लिमिटेड, जयपुर (सेवा प्रदाता) को एकीकृत आईटी सेवाओं का कार्य आउटसोर्स किया (जून 2010)। सेवा प्रदाता को आबकारी विभाग, राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड (आरएसबीसीएल) तथा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (कम्पनी) में एकीकृत प्रणाली को लागू करना था।

वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के लिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा एकत्र किये गये थे तथा इंटरएक्टिव डाटा एक्सट्रैक्शन एण्ड एनालिसिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए कम्प्यूटर समर्थित लेखापरीक्षा तकनीकों के माध्यम से विश्लेषण किया गया।

डाटा के विश्लेषण ने आईटी सिस्टम में गम्भीर दोषों का उजागर किया जिसने सूखा दिवसों पर देशी मदिरा के विक्रय करने, समान परमिट नम्बरों, चालान नम्बरों को स्वीकार करने तथा अन्य विसंगतियों को बढ़ावा दिया।

सामान्य नियंत्रण

कम्पनी के पास एक आईटी नीति तथा आईटी सम्पत्तियों (सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एवं डाटा बैंक) की सुरक्षा के संबंध में आईटी सुरक्षा नीति नहीं थी। आईटी सुरक्षा नीति के अभाव में, आउटसोर्स एजेंसियों द्वारा रिटेलर, डिपो लोकेशन, इन्वॉइस तथा चालान इत्यादि में विलोपन अथवा बदलाव से सम्बन्धित डाटाबेस में किए गए परिवर्तन किसी आवधिक पर्यवेक्षी संवीक्षा के अधीन नहीं थे जिससे सुनिश्चित हो कि परिवर्तन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत थे। किसी अवांछित घटना के घटित होने को रोकने के लिए कोई व्यवसाय निरन्तरता/संकट से उबरने की क्रियाविधि नहीं थी। सेवा प्रदाता द्वारा राज्य डाटा सेन्टर जयपुर में संकट से उबरने का स्थल स्थापित नहीं किया गया था। साथ ही, भौतिक एवं तार्किक सुरक्षा के सम्बन्ध में सिस्टम दोषपूर्ण था।

सिस्टम डिजाइन में कमियां

बिलिंग सॉफ्टवेयर को व्यावसायिक नियमानुसार आगत एडवाइस की वैधता एवं निर्गत परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ तरीके से डिजाइन नहीं किया गया था। हमारे विश्लेषण से प्रकट हुआ कि डिजाइन विसंगतियों तथा अपर्याप्त आगत नियंत्रणों ने लेबल के अनुमोदन में अनियमितता तथा बिना जांच की गई देशी मदिरा के विक्रय को बढ़ावा दिया।

व्यवसाय के नियमों की रूपरेखा

एकीकृत सिस्टम में आबकारी अधिनियम/नियमों के अनुसार व्यावसायिक नियमों को अभिरेखित करने का अभाव था जिसने न केवल आबकारी अधिनियम/नियमों का उल्लंघन किया बल्कि देशी मदिरा के विक्रय में वैधानिक उल्लंघन/सूखा दिवसों/चुनाव की तिथियों पर परमिट जारी करने तथा कार्य घण्टों के अतिरिक्त एवं अकार्य दिवसों पर मदिरा के विक्रय को बढ़ावा दिया।

आगत नियंत्रण तथा वैधता जांच

आगत नियंत्रण गलत या अनियमित आगत के कारण कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में त्रुटि एवं अनियमितताओं की संभावनाओं को कम करता है। आगत नियंत्रण एवं वैधता जांच दोषपूर्ण थे तथा सिस्टम ने समान परमिट एवं चालान नम्बरों को एक बार से अधिक स्वीकार किया। परमिट की वैधता से परे अथवा बिना परमिट मदिरा के विक्रय, नीति के उल्लंघन में लाइसेन्सियों से नकद स्वीकार करना, सामग्री आवक पर्ची में विसंगतियां, आदेशित मात्रा के विरुद्ध देशी मदिरा की मात्रा की कम प्राप्ति तथा खुदरा विक्रेताओं के डिपो में अनियमित बदलाव इत्यादि के प्रकरण देखे गए।

आंतरिक नियंत्रण

एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण तंत्र का अस्तित्व में होना अशुद्धियों तथा अनियमितताओं के जोखिम को कम करता है। हमारे विश्लेषण ने उजागर किया कि आन्तरिक नियंत्रण तन्त्र दोषपूर्ण था तथा इसने देशी मदिरा के बिना अनुमोदित ब्राण्ड के विक्रय, अवैध व्यवहारों तथा आबकारी विभाग के डाटा के साथ कम्पनी के डाटा के मिलान के अभाव को बढ़ावा दिया।

सिफारिशें

निष्पादन लेखापरीक्षा में एक विस्तृत एवं स्पष्ट आईटी नीति बनाने तथा क्रियान्वित करने एवं व्यावसायिक वातावरण के अनुसार इसकी आवधिक समीक्षा करने; सूखा दिवसों पर मदिरा के विक्रय एवं परमिट जारी करने के सम्बन्ध में किसी वैधानिक उल्लंघन को रोकने के लिए सिस्टम डिजाइन में उचित संशोधन करने; डिपो की स्थिति, सक्रिय/असक्रिय स्टॉक की मात्रा तथा देशी मदिरा की टेस्टिंग को समय पर सुनिश्चित करने के लिए बोटलिंग की तिथि को इंगित करने; आबकारी अधिनियम/नियमों के अनुसार व्यावसायिक नियमों को अभिरेखित करने को सुनिश्चित करने के लिए; विसंगतियों को दूर करने के लिए पर्याप्त आगत नियंत्रणों एवं वैधता जांच बनाने तथा राजस्व के किसी छीजत को रोकने के लिए आबकारी विभाग के डाटा के साथ कम्पनी के डाटा के मिलान तथा देशी मदिरा के विक्रय की उचित निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए आन्तरिक नियन्त्रण तन्त्र को शक्तिशाली बनाने की सिफारिशें सम्मिलित हैं।

3. अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धन में रही कमियों को उजागर करते हैं, जिनके गंभीर वित्तीय प्रभाव पड़े थे। प्रकट की गई कमियां मुख्यतः निम्न प्रकार की हैं:

नियमों, दिशानिर्देशों, प्रक्रियाओं एवं अनुबन्धों के नियमों व शर्तों इत्यादि की अनुपालना नहीं किये जाने के कारण छः मामलों में ₹ 19.04 करोड़ की हानि।

(अनुच्छेद 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7 एवं 3.9)

संगठन के वित्तीय हितों की सुरक्षा नहीं किये जाने के कारण तीन मामलों में ₹ 18.18 करोड़ की हानि।

(अनुच्छेद 3.2, 3.6 एवं 3.8)

कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेपों का सार नीचे दिया गया है:

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने दो फर्मों द्वारा निम्न दरें प्रस्तावित करने के उपरान्त भी उच्च दरों पर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेन्ट लैम्प का क्रय किया गया जिसके कारण ₹ 2.20 करोड़ के सरकारी कोषों का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 3.2)

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड तथा राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड ने अवकाश नकदीकरण के पेटे कर्मचारी भविष्य निधि में ₹ 3.42 करोड़ का अनियमित भुगतान किया।

(अनुच्छेद 3.4)

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के केन्द्रीय आरक्षण कार्यालय, नई दिल्ली ने लग्जरी ट्रेनों के लिए आरक्षण एवं निरस्तीकरण नीति के प्रावधानों की अनुपालना नहीं की। साथ ही, चूककर्ता सामान्य विक्रय ऐजेन्ट (लग्जरी होलीडेज) के विरुद्ध कार्यवाही में देरी, ₹ 1.85

करोड़ के ब्याज की हानि के अतिरिक्त ₹ 13.17 करोड़ की बुकिंग राशि की वसूली के अभाव का कारण बनी।

(अनुच्छेद 3.6)

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना ने विभिन्न माहों के दौरान उत्पादन ठप्प होने के प्रकरणों के अधिक होने तथा कोयले की कमी के परिणामस्वरूप में कम प्लान्ट लोड फैक्टर के कारण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (2011-13) तथा राज्य विद्युत विनियामक आयोग (2011-15) द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया। आरईआरसी के मानदंडों से उच्च स्टेशन हीट रेट के कारण कोयले का अधिक उपयोग; आरईआरसी के मानदंडों से अधिक सहायक उपभोग; तथा रेक्स को अनुमत समय सीमा के पश्चात खाली करने के कारण रेलवे द्वारा डेमरेज प्रभार लगाये गये।

(अनुच्छेद 3.7)

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा किये गये कोयला आयात अनुबन्ध में आयातित कोयले की सुपुर्दगी लागत की गणना की गलत विधि निर्दिष्ट की गई जिसके परिणामस्वरूप स्वच्छ ऊर्जा उपकर पर ₹ 95.84 लाख के शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर का अनियमित भुगतान हुआ।

(अनुच्छेद 3.8)

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम चूककर्ता ठेकेदारों/निजी उद्यमियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही तथा निगरानी के अभाव के कारण निजी उद्यमी गारन्टी योजना 2008 के अन्तर्गत राज्य में वांछित भण्डारण क्षमता को बढ़ाने में विफल रहा। गोदामों का निर्माण भी मॉडल टेस्ट फार्म में भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिए गए विशिष्ट विवरणों के अनुसार नहीं किया गया था तथा निर्माण में देरी के कारण गारन्टीड भण्डारण प्रभारों तथा पर्यवेक्षण प्रभारों की हानि हुई।

(अनुच्छेद 3.9)